तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	Camp Court Mandrayal 11/2/17
11.2.17	पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। मूल नामान्तकरण दिनांक 10.2.17 को प्राप्त हो चुका है, जो शामील पत्रावली किया गया। अपीलान्ट व वकील अपीलान्ट प्रकरण का लोक अदालत में निस्तारण किये जाने पर सहमत है। अपीलान्ट व वकील अपीलान्ट को सुना गया। रेस्पोडेन्ट बावजूद तामील अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण संख्या 75 दिनांक 12.6.89 ग्राम - जखौदा तहसील - मण्डरायल में अपीलान्ट के पिता नरसिंह की विरासत से सम्बन्धित है, जिसमें अपीलान्ट का नाम पुरन्दरसिंह के स्थान पर पुलन्दर सिंह गलत दर्ज हो गया है जबकि अपीलान्ट का सही नाम पुरन्दरसिंह है। अपीलान्ट ने अपने सही नाम पुरन्दरसिंह होने के सम्बन्ध में अपना परिचय पत्र, आधारकार्ड व ग्राम नींदर की जमाबंदी सम्वत् 2068 से 2071 की फोटो प्रतियाँ प्रस्तुत की है। जिनसे अपीलान्ट का नाम पुरन्दरसिंह होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। नामान्तकरण सं० 75 दिनांक 12.6.89 ग्राम - जखौदा तहसील - मण्डरायल अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत - धौरेटा निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार मण्डरायल को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि वह अपीलान्ट का नाम पुलन्दरसिंह के स्थान पर पुरन्दर सिंह दर्ज कर पुनः नामान्तकरण कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल नामान्तकरण तहसीलदार मण्डरायल को पालनार्थ भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया। पुरन्दर सिंह (sd.) 11/2/17 उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल (जिला-करौली)